Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 36/2022

Bishwanath Mandal ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–442/जि0स्था0 दिनांक–31.08.2019 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C. No.- 3595/2021 में दिनांक 25.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अंचल कार्यालय, टेढ़ागाछ में उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत थे। इनके विरूद्ध M.S.D.P. योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने के आरोप में ठाकुरगंज थाना कांड सं0–261/13 दिनांक 04.12.2013 को विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक, निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना) द्वारा प्राप्त अनुसंधान के आलोक में इन्हें निलंबित किया गया। इनके विरूद्ध प्रपत्र–क गठित करते हुए निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये :– **प्रथम :–** यथा– M.S.D.P. योजना के अंतर्गत 18 योजनाओं का अभिलेख नहीं खोलना, बिना अभिकर्त्ता के अग्रिम राशि कुल 41,94,000/– रूपये की निकासी जबकि योजना में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। **द्वितीय :–** उक्त योजना में कुल 151 अभिलेख में अग्रिम राशि के विरूद्ध कार्य नहीं होना, फलतः उनके विरूद्ध उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई। **तृतीय :–** आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के समक्ष कुल 08 अभिलेखों को उपस्थापित नहीं करना। उक्त आरोपों के आलोक में अपीलार्थी का स्पष्टीकरण है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज के द्वारा निर्गत आदेश पर चेक उपस्थापित किया गया, जिसपर उनके हस्ताक्षर पश्चात् अभिकर्त्ता को उपलब्ध कराया गया। इनके द्वारा अपने अधिकारी के आदेश का मात्र अनुपालन किया गया है। द्वितीय आरोप के संबंध में इनका कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से प्रखंड के किन्हीं कर्मी को योजना अभिलेख आवंटित नहीं किया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज के निदेश के आलोक में नजारत में रखे कुल 151 अभिलेख इनके द्वारा उपलब्ध कराने के कारण इनका नाम सहायक योजना के रूप में जोड़ दिया गया एवं तृतीय आरोप के विरूद्ध स्पष्टीकरण हेतु 08 अभिलेख पंजी के आधार पर इन्हें उपलब्ध कराये ही नहीं गये थे। उल्लेखनीय	

Web Copy, Not Official.

		है कि पूर्व में दो योजना सहायकों द्वारा अभिलेख का संधारण किया गया है। क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	इनके विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोपों के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में सभी तीनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई। इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा के तथ्यों की अनदेखी करते हुए सेवाच्यूति वृहत् दंड दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। पंचायत समिति सदस्य नूरजहाँ बेगम द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज एवं पंचायत सचिव प्रमोद कुमार दास के विरूद्ध आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण में वित्तीय अनियमितता का परिवाद समर्पित है। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज ने भी जाँचोपरांत सत्य प्रतिवेदित किया है। ठाकुरगंज थाना कांड सं0–261/2013 में अपीलार्थी का नाम बाद में जोड़ा गया है जबकि मात्र उक्त दोनों कर्मियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज थी। अपीलार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है। अपीलार्थी सहायक नाजीर के पद पर थे। इन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले से कोई लेना–देना नहीं था। इनके विरूद्ध कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। मात्र जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिसमें ना तो किसी साक्षी का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण कराया गया और ना ही समर्पित तथ्यों पर ही विचार किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज से किसी प्रकार का मंतव्य प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी के सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अंचल कार्यालय, टेढ़ागाछ, किशनगंज में उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत थे। इनके विरूद्ध MSDP योजनान्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने तथा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के समक्ष 08 अभिलेखों की जाँच हेतु उपस्थापित नहीं करने सहित कुल तीन आरोप प्रतिवेदित है। इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में इनसे विधिवत् द्वितीय कारणपृच्छा प्राप्त की गई। जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने पाया है कि अपीलार्थी बिना योजना अभिलेख खोले अभिकर्त्ता एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिली–भगत से सरकारी राशि की अवैध निकासी का आरोप प्रमाणित है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित दंड विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को	

Web Copy. Not Official.

		भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.